न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 54/09 निर्णय दिनांकः– 18–11–2019
(आरसीएमएस संख्या 2009/00010)

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र केदार प्रसाद जाति काकड़ा (ब्राहमण) साकिन बागड़ी मौहल्ला, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. कमलाराम
2. मोडाराम
3. मूलाराम

पिसरान हरजीराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

4. मु. सीरन बेवा हरजीराम
5. सुल्तान सिंह पुत्र छत्रसिंह निवासी ग्राम नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर। (तर्क)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 26–05–2008
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

2. अपील संख्याः 55/09
(आरसीएमएस संख्या 2009/00009)

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र केदार प्रसाद जाति काकड़ा (ब्राहमण) साकिन बागड़ी मौहल्ला, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. कमलाराम
2. मोडाराम
3. मूलाराम

पिसरान हरजीराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

4. मु. सीरन बेवा हरजीराम
5. सुल्तान सिंह पुत्र छत्रसिंह निवासी ग्राम नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर। (तर्क)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 14–05–2009
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शें में अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करते हुए प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त रिपोर्ट पर बिना किसी प्रकार का गौर किये प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 14—05—2009 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई।

उन्होनें आगे कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें के अनुसार यह तथ्य सामने आ चुके थे कि उनके द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 544 में से रास्ता कायम करने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करते। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करते हुए मात्र उनके समक्ष प्रस्तुत नजरी नक्शें के आधार पर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व एकतरफा तौर पर बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा पारित भी हो गया है तो उक्त आदेश प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवाद रेस्पोडेन्ट्स की भूमि को लेकर था ना ही अपीलांट् की खातेदारी भूमि को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद था। ऐसी स्थिति में यदि पक्षकारों के मध्य विभाजन करते हुए रास्ते का ध्यान रखा भी जाना था तो केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स की भूमि की हद तक की रास्ते के आदेश पारित किये जाने चाहिए थे। अदालत मातहत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व वादपत्र में उल्लेखित व चाहे गये अनुतोष के विपरीत जाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने आदेश पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् तहसीलदार द्वारा बिना अपीलांट की सहमति व उपस्थिति के अपनी मनमर्जी से तैयार किये गये नजरी नक्शें के अनुसार प्रस्ताव तैयार करते हुए भिजवाये जाने पर उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव में केवल मात्र रेस्पोडेन्ट की भूमि कर हद तक ही रास्ते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रेषित किये जाने चाहिए थे। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से की गई है। यदि रेस्पोडेन्ट्स को अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ते की आवश्यकता थी तो उन्हें इसके लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थित–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह दोनों अपीलें उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–05–2008 व 14–05–2009 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट् की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. दोनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि ग्राम नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 538 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 549 तादादी 5.43 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1070/538 रकबा 0.87 हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की 3.79 हेक्टर व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की 6.32 हेक्टर भूमि निहित है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर अपील के बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन की इस्तदुआ की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–05–2008 को तहसीलदार, बीकानेर को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए ग्राम नालबड़ी तहसील बीकानेर की संवत् 2056 से 2059 की जमाबन्दी के अनुसार वादीगण के हक व हिस्से की 3.78 हेक्टर भूमि पर उनक कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन के प्रस्ताव मय नजरी नक्शा जिसमें वादीगण की भूमि दर्शाते हुए उन्हें खेत में आवागमन हेतु पहले से चल रहे स्कूल के पास के रास्ते को नक्शें में दर्शाते हुए प्रस्ताव भिजवान हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, बीकानेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पृथक से कार्यवाही की जानी चाहिए थी। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ऐसा न करते हुए मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से नियमों के विपरीत जाकर रास्ते की डिक्री पारित करवाई गई है। जो स्पष्ट रूप से विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद पेश की गई है। मियांद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जिसके खण्डन में ना कोई जवाब व ना ही कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, बीकानेर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसरण में रास्ते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। किसी भी पक्षकार को अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 538 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 549 तादादी 5.43 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1070/538 रकबा 0.87 हेक्टर भूमि बाबत् वादपत्र प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन की मांग की गई तथा साथ ही विभाजन के साथ–साथ ही पक्षकारों को अपने खेत खसरा में आवागमन हेतु रास्ते की मांग भी की गई। उक्त वादपत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की भूमि का विभाजन करते हुए पक्षकारों के आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराते हुए विभाजन की क्रमशः प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की गई है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में जो रास्ते के बाबत् जो आदेश पारित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किये गये है, से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के विभाजन से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। केवल मात्र विभाजन की डिक्री पारित करते समय जो रास्ते के प्रावधान दिये गये है, उस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट जोकि नालबड़ी के खेत खसरा नम्बर 544/3 तादादी 0.42 हेक्टर भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, अपीलाधीन आदेश व पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें का अवलोकन किया। प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के विभाजन का प्रश्न है, उक्त विभाजन के संबंध में अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया है। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि के विभाजन के बाबत् किसी प्रकार की कोई टिप्पणी उक्त आदेश में करना उचित नहीं पाते है।

जहॉ तक अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट को आवागमन हेतु रास्ता प्रदान किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के विभाजन के साथ–साथ रास्ते की मांग रेस्पोडेन्ट्स द्वारा की गई थी। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय को केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स के खेत खसरा नम्बर नम्बर 538 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 549 तादादी 5.43 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1070/538 रकबा 0.87 हेक्टर भूमि में से ही रास्ते की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए थी। यदि रेस्पोडेन्ट्स को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य चिपते काश्तकार की भूमि में से रास्ते की आवश्यकता थी तो उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपलब्ध प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक रूप से कार्यवाही करनी जानी चाहिए थी।

अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य पर मनन करना चाहिए था कि उनके द्वारा धारा 53 आरटीए के तहत वादाधीन भूमि का विभाजन किया जाना था। उक्त विभाजन करते समय यदि रास्ते के प्रावधान को ध्यान रखते हुए यदि अन्य किसी चिपते काश्तकार की भूमि प्रभावित हो रही है तो उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करना चाहिए था। उक्त काश्तकार यदि वाद में पक्षकार स्थापित नहीं है तो ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय को विधि सम्मत तरीके से न्यायालय के स्तर पर नोटिस जारी करते हुए उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उनके द्वारा तहसीलदार, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसरण में आदेश पारित किया गया है व उक्त नजरी नक्शे में अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्त कायम किया जाना भलीभांति प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है कि उनके द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के चिपते काश्तकार की भूमि भी प्रभावित हो रही है व उसे उसके जायज अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए रास्ते के संबंध में जो आदेश पारित किये गये है, वे आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत विधि विरूद्व तरीके से पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय रास्ते के संबंध में जो आदेश प्रसारित किये गये है उनकी पुष्टि किया जाना उचित नहीं पाते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में रास्ते के संबंध में चाराजोई करने के प्रावधान निहित है। यदि रेस्पोडेन्ट्स को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु चिपते काश्तकार भूमि में से रास्ते की आवश्यकता है तो वह उक्त धारा के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-05-2008 व 14-05-2009 अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 544/3 में से कायम किये गये रास्ते की हद तक निरस्त किये जाते है व विभाजन की हद तक अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाते है।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18-11-2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजस्व अपील प्राधिकारी)
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.05 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: